



R5032II17

Rs. 30/-



- 1. रघुनाथ प्रसाद पिता रामकिशोर ब्राह्मण
- 2. हनुमान प्रसाद । पिता रामनगन ब्राह्मण
- 3. भोमसेन ।
- 4. सुकसिया-बेवा रामनगन ब्राह्मण
- 5. नीनेशा । पिता विष्णु प्रसाद ब्राह्मण
- 6. मिथेश ।
- 7. सुसो बेवा जानकी बेगम पत्नी विष्णु प्रसाद ब्राह्मण

अधिकांश कमलेश्वर तिवारी,  
द्वारा प्रस्तुत 24-1-17

कलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल मंत्रालय  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

सभी निवासी ग्राम छाटकारी तहसील हनुमना, जिला

रीवा मण्डल -----

निसरगानीकर्ता

बनाम

स्वामीशरण पिता रामसेवक ब्राह्मण साहू छाटकारी तहसील

हनुमना जिला रीवा मण्डल -----

गेरनिसरगानीकर्ता

निसरगानी विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 73अ74 /13-  
14 आदेशा दिनांक 6-1-2017 अधीनस्थ न्याया  
अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के विरुद्ध  
अन्तर्गत धारा 50 मण्डल भूराज सं /

40

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R-5032-II/17

जिला रीवा

समान तथा दिनांक	कार्रवाही तथा आदेश	पक्षकर्तों एवं अधिवक्ता के हस्ताक्षर
06/2/19	<p>इस प्रकरण में दिनांक 18/1/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अपि हुमना के प्रकरण क्रमांक 73/अ-74/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 6-1-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p><i>[Signature]</i> सदस्य 6/2/19</p>

*[Signature]*